ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(5)

आर0ई0आर0 केस सं0– 47/2018–19

संतोष कुमार बनाम् देवी पंडित वगै0

,022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक संतोष कुमार, पे0–स्व0 अरूण पंडित, सा0–तेतरिया, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–तेतरिया नं0–709, जमाबंदी नं0–24, दाग नं0–114 के अन्दर रकवा–00–02–00 धूर जमीन से विपक्षीगण देवी पंडित, पिता–दुखु पंडित, उपेन्द्र पंडित, कैलाश पंडित दोनों पे0–देवी पंडित, साकिन–तेतरिया, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–707/रा0 दिनांक–12.04.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकनोंपरान्त पाया कि आवेदक प्रासंगिक जमाबंदी रैयत के वंशज है। विपक्षी का उक्त जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक जमाबंदी अन्तर्गत दाग नं0–114 से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (पूरक), 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाता है।

Seen 31/12/22

Seen 11.01.23

लेखापित एवं संशोधित।

02.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

02.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 11:44:33 +05:30
Location: 192.168.8.107